

राजस्थान सरकार

कार्यालय सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

(E mail-divcomm-jodh-rj@nic.in दूरभाष-0291-2650540, फ़ैक्स-0291-2650357)

क्रमांक:न्यायिक/संभाग इंटरनेट सेवा/18/1003

दिनांक:12 जुलाई, 2018

:: आदेश ::

महानिरीक्षक पुलिस जोधपुर रेंज, जोधपुर के पत्र क्रमांक: व 15()जोध-रेंज/गुप्त/2018/887 दिनांक 11.07.18 में किए गए निवेदन के आधार पर कानिस्टेबल भर्ती वर्ष 2018 की लिखित परीक्षा निर्बाध रूप से सम्पन्न कराने एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने हेतु गृह (ग्रुप-9) विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश संख्या एफ.35(1) गृह-9/2006 दिनांक 2.9.17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्भाग के निम्नलिखित नगर परिषद/पालिका क्षेत्र में 2G/3G/4G/Data Internet Services, Bulk SMS/MMS/ Whatsapp, facebook, twitter and other Social Media by Internet Service Providers (except voice call of Landline, Mobile phone, all lease line and Broadband) को दिनांक 13.07.18 को सायं 5:00 बजे से दिनांक 15.07.18 को सायं 6:00 बजे तक के लिए अस्थाई रूप से निलम्बित करने के आदेश करता हूँ :-

क्र.सं.	परीक्षा केन्द्र स्थान	इंटरनेट सेवा बंद करने का क्षेत्र
1	जैसलमेर	सम्पूर्ण नगर परिषद क्षेत्र एवं अतिरिक्त 10 किलोमीटर
2	बाड़मेर	सम्पूर्ण नगर परिषद क्षेत्र एवं अतिरिक्त 10 किलोमीटर
3	जालोर	सम्पूर्ण नगर परिषद क्षेत्र एवं अतिरिक्त 5 किलोमीटर
4	पाली	सम्पूर्ण नगर परिषद क्षेत्र एवं अतिरिक्त 10 किलोमीटर
5	जैतारण (पाली)	सम्पूर्ण नगर पालिका क्षेत्र एवं अतिरिक्त 10 किलोमीटर
6	सोजत (पाली)	सम्पूर्ण नगर पालिका क्षेत्र एवं अतिरिक्त 10 किलोमीटर
7	आबू रोड़ (सिरोही)	सम्पूर्ण नगर पालिका क्षेत्र एवं अतिरिक्त 10 किलोमीटर
8	स्वरूपगंज (सिरोही)	सम्पूर्ण पुलिस स्टेशन क्षेत्र एवं अतिरिक्त 10 किलोमीटर

यह आदेश आज दिनांक 12.07.2018 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(ललित कुमार गुप्ता)

सम्भागीय आयुक्त

जोधपुर

क्रमांक:समसंख्यक/18/1004-1027

दिनांक:12 जुलाई, 2018

प्रतिलिपि - निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय राजस्थान, जयपुर को सादर सूचनार्थ
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग राजस्थान, जयपुर को अनुमोदनार्थ प्रेषित है
3. महानिरीक्षक पुलिस जोधपुर रेंज, जोधपुर
4. जिला मजिस्ट्रेट, जालोर, जैसलमेर, सिरोही, पाली, बाड़मेर
5. जिला पुलिस अधीक्षक, जालोर, जैसलमेर, सिरोही, पाली, बाड़मेर को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में जिले में संचालित सभी टेलीकॉम कंपनियों से समन्वय स्थापित कर उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित कराई जावे।
6. नोडल अधिकारी, टेलीकॉम कम्पनी, भारत संचार निगम लिमिटेड एयरटेल, वोडाफोन, आईडिया, एयरसेल, एम.टी.एस., टाटा, रिलायन्स, जियो, कप्पा आदि को पालनार्थ (द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक, जालोर, जैसलमेर, सिरोही, पाली, बाड़मेर)
7. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जालोर, जैसलमेर, सिरोही, पाली, बाड़मेर
8. आदेश पत्रावली

सम्भागीय आयुक्त,

जोधपुर

Email

राजस्थान सरकार

कार्यालय सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

(E mail-divcomm-jodh-rj@nic.in दूरभाष-0291-2650540, फ़ैक्स-0291-2650357)


क्रमांक:न्यायिक/संभाग इंटरनेट सेवा/18/1028

दिनांक: 12 जुलाई, 2018

:: आदेश ::

पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय एवं यातायात, जोधपुर के पत्र क्रमांक:न.5()जोध-पुआ/फोर्स/2018/2999 दिनांक 12.7.18 में किए गए निवेदन के आधार पर दिनांक 14 व 15.7.18 को दो पारियों में आयोजित होने वाली कानिस्टेबल भर्ती वर्ष 2018 की लिखित परीक्षा के दौरान सम्भावित अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने हेतु गृह (ग्रुप-9) विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश संख्या एफ.35(1) गृह-9/2006 दिनांक 2.9.17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जोधपुर आयुक्तालय के अन्तर्गत आने वाले सम्पूर्ण क्षेत्र में 2G/3G/4G/ Data Internet Services, Bulk SMS/MMS/ Whatsapp, facebook, twitter and other Social Media by Internet Service Providers (except voice call of Landline, Mobile phone, all lease line and Broadband) को दिनांक 14.07.18 व 15.07.18 को प्रातः 6:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक के लिए अस्थायी रूप से निलम्बित करने के आदेश करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 12.07.2018 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।



(ललित कुमार गुप्ता)

सम्भागीय आयुक्त


जोधपुर

क्रमांक:समसंख्यक/18/1029-1036

दिनांक: 12 जुलाई, 2018

प्रतिलिपि – निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय राजस्थान, जयपुर को सादर सूचनार्थ
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग राजस्थान, जयपुर को अनुमोदनार्थ प्रेषित है
3. पुलिस आयुक्त, जोधपुर
4. जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
5. पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय एवं यातायात, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में जिले में संचालित सभी टेलीकॉम कम्पनियों से समन्वय स्थापित कर उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित कराई जावे।
6. नोडल अधिकारी, टेलीकॉम कम्पनी, भारत संचार निगम लिमिटेड एयरटेल, वोडाफोन, आईडिया, एयरसेल, एम.टी.एस., टाटा, रिलायन्स, जियो, कप्पा आदि को पालनार्थ (द्वारा पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय एवं यातायात, जोधपुर)
7. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर
8. आदेश पत्रावली



सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर